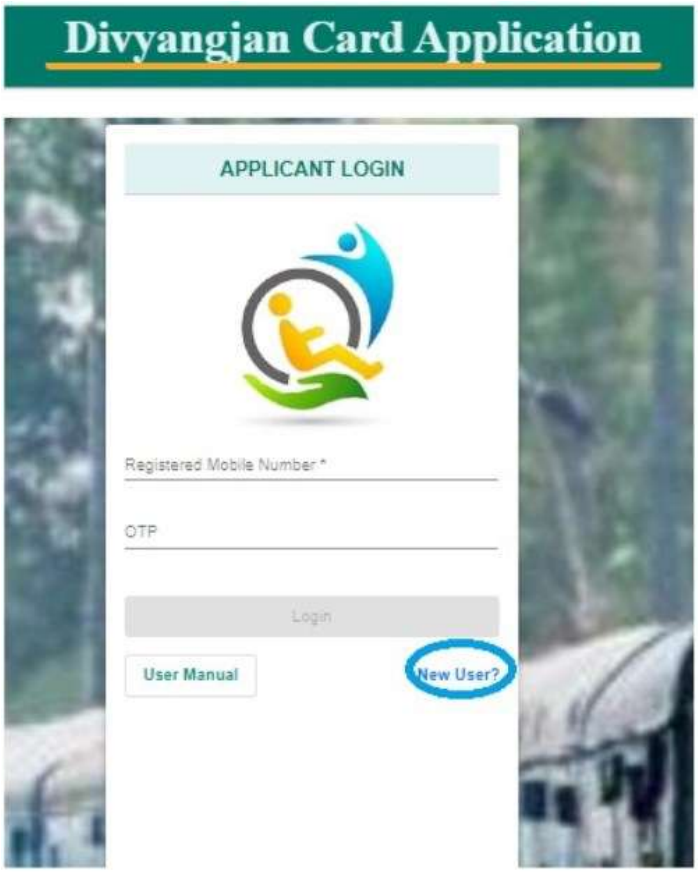
दिव्यांगजन कार्ड उपयोगकर्ता निर्देशिका

आवेदक कृपया ध्यान दें: प्रसंस्करण मण्डल (Processing division) उस राज्य और रेलवे स्टेशन पर आधारित है जो उस अस्पताल के सबसे निकट है जहाँ से आवेदक ने रेलवे रियायत प्रमाणपत्र (Railway Concession Certificate) प्राप्त किया है।.

दिव्यांग यात्री निम्नलिखित श्रेणियों में फोटो पहचान पत्र जारी करने/नवीनीकरण के लिए आवेदन करने के पात्र हैं (IRCTC/काउंटर पर रियायती रेल टिकट प्राप्त करने के लिए):

1. **दृष्टिबाधित व्यक्ति:**
 a. दृष्टि का पूर्ण अभाव, या
 b. बेहतर आँख में सर्वोत्तम संभव सुधार के साथ स्नेलन चार्ट (Snellen's chart) द्वारा दृश्य तीक्ष्णता 3/60 से कम या 10/200 से कम; या
 c. बेहतर आँख में दृष्टि के क्षेत्र की सीमा 10 डिग्री से कम के कोण तक सीमित होना।
2. **मानसिक रूप से मंद (Mentally Retarded) व्यक्ति** जो बिना सहायक के यात्रा नहीं कर सकते।
3. **पूर्णतः श्रवण एवं वाक् बाधित व्यक्ति** (एक ही व्यक्ति में दोनों विकार एक साथ)।
4. **अस्थि-दिव्यांग/लकवाग्रस्त व्यक्ति/रोगी** जो बिना सहायक की सहायता के यात्रा नहीं कर सकते।

1. पहली बार आवेदन करने वाले आवेदकों को "New User" (नया उपयोगकर्ता) विकल्प का उपयोग करके साइन अप करना आवश्यक है।



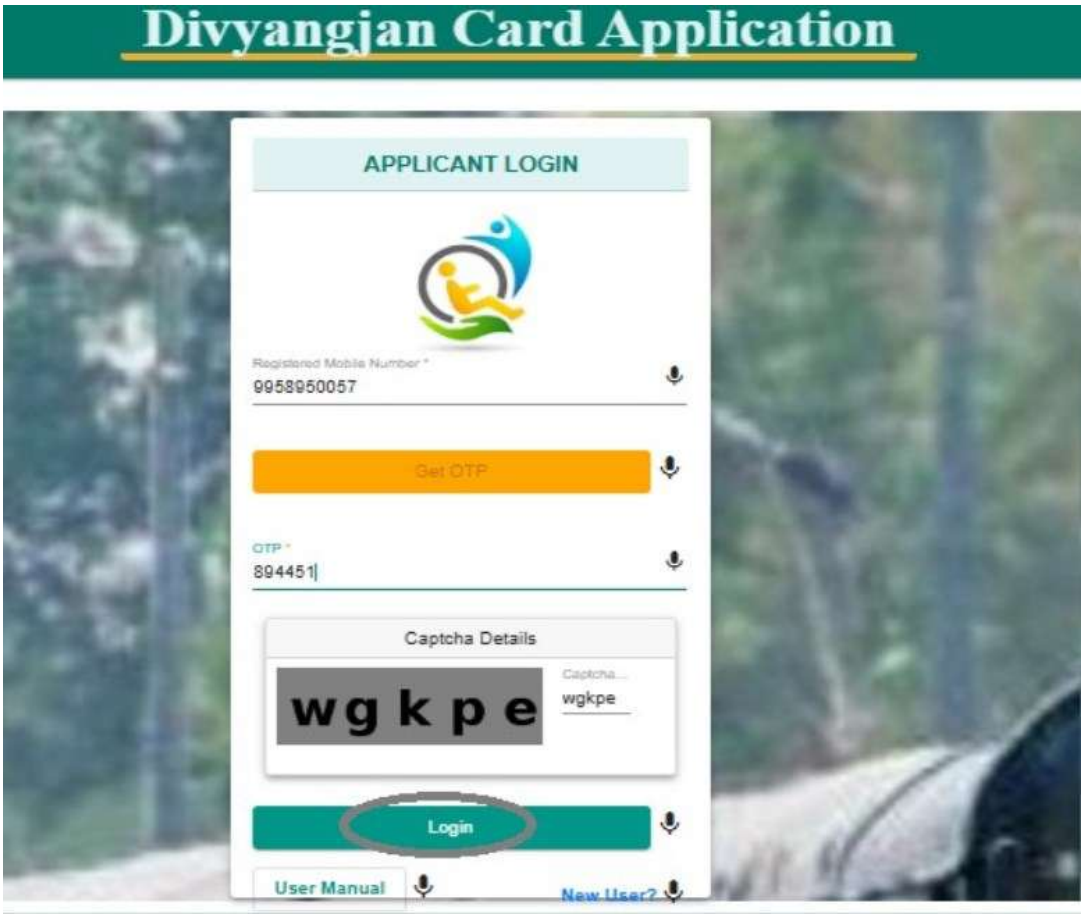


2. उपयोगकर्ता (User) बनाते समय, यह आवश्यक है कि राज्य (STATE) और निकटतम रेलवे स्टेशन (वह स्टेशन जो प्रमाण पत्र जारी करने वाले अस्पताल के सबसे निकट है) का चयन सही ढंग से किया जाए ताकि मामले को आगे की कार्रवाई के लिए सही मण्डल (Division) को भेजा जा सके।

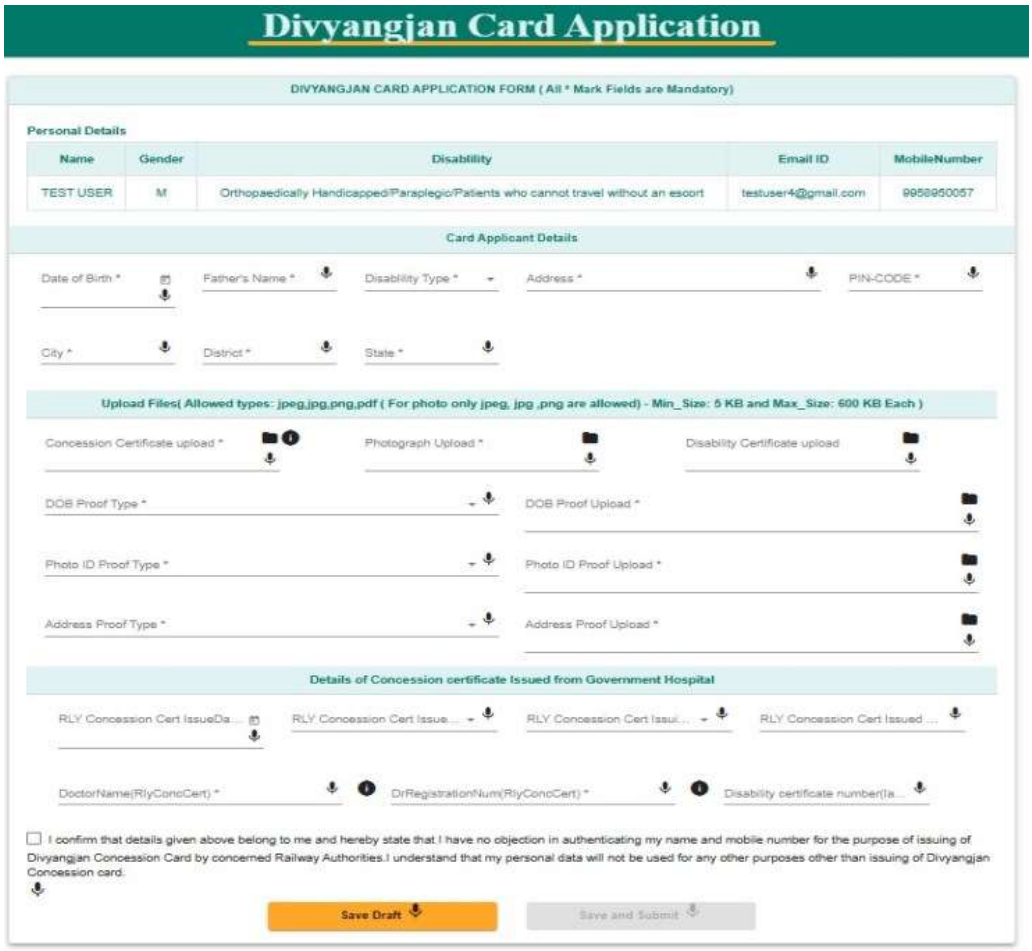
3. आधार सत्यापन (Aadhaar validation) गैर-अनिवार्य है और उपयोगकर्ता आधार आईडी प्रदान किए बिना भी पंजीकरण कर सकते हैं।.

4. आवेदक के पास एक वैध फोन नंबर होना चाहिए।

5. एक बार उपयोगकर्ता पंजीकृत हो जाने के बाद, आवेदक पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके लॉगिन कर सकता है और आवश्यक विवरण जमा कर सकता है।


Divyangjan Card Application
APPLICANT LOGIN
Registered Mobile Number *
9958950057
Get OTP
OTP *
894451
Captcha Details
wgkpe
Captcha
wgkpe
Login
User Manual
New User?


रियायत कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें।
Divyangjan Card Application
Concessional Form for Blind
Concessional Form for Other disability
Apply For Concession Card
Applicant Dashboard
Application No.
Application Date
Applicant Name
Mobile Number
Card Issuing Stn
status
Application Feedback
NORMAL-PRINT
ID-PRINT



6. कार्ड जारी होने के बाद कार्ड धारक का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और लिंग की जानकारी बदलने की अनुमति नहीं है।

7. आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति के साथ तैयार रहना आवश्यक है (अनुमत प्रकार: pdf, jpeg, jpg, png - अधिकतम आकार: प्रत्येक 600 KB):

 a. सरकारी डॉक्टर/सरकारी अस्पताल द्वारा जारी **दिव्यांगता प्रमाण पत्र (Disability certificate)**।
 b. **रेलवे रियायत प्रमाण पत्र** (आवेदक के होम पेज पर टेम्पलेट प्रदान किया गया है)
 या
 UDID प्रमाण पत्र (केवल दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए लागू)।
 c. पासपोर्ट साइज फोटो।
 d. **जन्म तिथि का प्रमाण:**

 i. जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार या नगर निगम द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।
 ii. अंतिम बार पढ़े गए स्कूल/मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी स्थानांतरण (Transfer)/स्कूल छोड़ने का/मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र।
 iii. पासपोर्ट
 iv. पैन कार्ड
 v. वोटर आईडी
 vi. लेटरहेड पर ग्रुप ए राजपत्रित अधिकारी (Gazetted officer) या तहसीलदार द्वारा जारी जन्म तिथि का प्रमाण पत्र।

vii. अनाथालय/बाल गृह के प्रमुख द्वारा उनके संगठन के आधिकारिक लेटरहेड पर दी गई घोषणा।

e. **फोटो पहचान प्रमाण (Photo Id Proof):**

i. आधार कार्ड/डाउनलोड किया गया आधार (ई-आधार)
ii. पासपोर्ट
iii. आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड
iv. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वोटर आईडी कार्ड
v. आरटीओ (RTO) द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस
vi. केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी क्रमांक वाला फोटो पहचान पत्र।
vii. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU), जिला प्रशासन, नगर निकायों और पंचायत प्रशासन द्वारा जारी क्रमांक वाले फोटो पहचान पत्र।
viii. छात्रों के लिए मान्यता प्राप्त स्कूल/कॉलेज द्वारा फोटो सहित जारी छात्र पहचान पत्र।
ix. चालू बैंक खाते की फोटो पासबुक (केवल अनुसूचित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, अनुसूचित निजी क्षेत्र के भारतीय बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक)।
x. बैंकों द्वारा जारी लेमिनेटेड फोटो वाले क्रेडिट कार्ड / राशन/PDS फोटो कार्ड।
xi. राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा लेटरहेड पर जारी फोटो वाला पहचान प्रमाण पत्र।

f. **पता प्रमाण (Address Proof):** (यदि पता उपयोगकर्ता निर्माण के दौरान दिए गए आधार से भिन्न है)।

i. पानी का बिल (3 महीने से अधिक पुराना नहीं)।
ii. टेलीफोन बिल (लैंडलाइन या पोस्टपेड मोबाइल बिल- 3 महीने से अधिक पुराना नहीं)।
iii. बिजली का बिल (3 महीने से अधिक पुराना नहीं)।
iv. संपत्ति कर रसीद (एक वर्ष से अधिक पुरानी नहीं)।
v. गैस कनेक्शन बिल (3 महीने से अधिक पुराना नहीं)।
vi. आधार कार्ड/डाउनलोड किया गया आधार (ई-आधार)।
vii. पासपोर्ट/जीवनसाथी का पासपोर्ट/माता-पिता का पासपोर्ट (नाबालिग के मामले में)।
viii. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वोटर आईडी कार्ड।
ix. आरटीओ द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस।
x. चालू बैंक खाते की फोटो पासबुक (केवल अनुसूचित बैंक)।
xi. क्रेडिट कार्ड विवरण (3 महीने से अधिक पुराना नहीं)।
xii. पोस्ट ऑफिस पासबुक/खाता विवरण।
xiii. राशन/PDS फोटो कार्ड।
xiv. केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी क्रमांक वाला फोटो पहचान पत्र।
xv. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, जिला प्रशासन, नगर निकायों और पंचायत प्रशासनों द्वारा जारी क्रमांक वाले फोटो पहचान पत्र।
xvi. बैंक द्वारा लेटरहेड पर फोटो सहित हस्ताक्षरित पत्र/पंजीकृत कंपनी के नियोक्ता द्वारा लेटरहेड पर जारी हस्ताक्षरित पत्र/मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी हस्ताक्षरित पत्र।
xvii. आयकर निर्धारण आदेश (Income Tax Assessment Order)।
xviii. पंजीकृत किराया समझौता (Registered Rent Agreement)।
xix. राजपत्रित अधिकारी/तहसीलदार द्वारा लेटरहेड पर जारी पते का प्रमाण पत्र।
xx. ग्राम पंचायत प्रमुख या उसके समकक्ष प्राधिकरण द्वारा जारी पते का प्रमाण पत्र।

8. आवेदक को सभी दस्तावेजों की **स्व-सत्यापित सॉफ्ट कॉपी (self-attested soft copy)** अपलोड करना आवश्यक है।

9. रियायत प्रमाण पत्र पर डॉक्टर का नाम, पंजीकरण संख्या और दिव्यांगता की प्रकृति स्पष्ट रूप से उल्लिखित और पठनीय होनी चाहिए।
10. अस्पताल का विवरण भरते समय, आवेदक को राज्य और अस्पताल के शहर का सही विवरण सुनिश्चित करना होगा।

11. विवरण भरने के बाद, आवेदक आवेदन जमा कर सकता है। आवेदन की स्थिति आवेदक डैशबोर्ड पर दिखाई देगी।

12. किसी भी विवरण के संपादन (Editing) की अनुमति नहीं है, इसलिए आवेदन जमा करने से पहले कृपया सटीकता के लिए सभी दर्ज जानकारी को सत्यापित करें।

13. यदि आवेदन पूरी तरह से नहीं भरा गया है, तो आवेदक इसे **ड्राफ्ट (Draft)** के रूप में सहेज सकता है। हालांकि, इसे उपयोगकर्ता निर्माण के एक महीने के भीतर जमा किया जाना चाहिए, अन्यथा विवरण हटा दिए जाएंगे और नए पंजीकरण की आवश्यकता होगी।

14. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय, आवेदक को ध्यान रखना चाहिए कि प्रविष्टियाँ उचित होनी चाहिए अन्यथा आवेदन खारिज कर दिया जाएगा।
15. आवेदन खारिज होने की स्थिति में (अस्वीकृति का कारण डैशबोर्ड पर बताया जाएगा), आवेदक को आवश्यक सुधार करने के बाद पुनः आवेदन करने की अनुमति है।

16. किसी भी शिकायत के लिए, उपयोगकर्ता अपनी शिकायत https://pgportal.gov.in/ पर या यूजर प्रोफाइल विकल्प में उपलब्ध फीडबैक फॉर्म का उपयोग करके दर्ज कर सकते हैं।

17. कार्ड के अनुमोदन के बाद, आवेदक पंजीकृत मोबाइल नंबर के साथ लॉग इन करने के बाद कार्ड देख और डाउनलोड कर सकता है और कार्ड का प्रिंट ले सकता है।

Divyangjan Card Application

Applicant Dashboard

Application No.	Application Date	Applicant Name	Mobile Number	Card Issuing Stn	Status	Application Feedback	Action
558955	01/09/2022	USER TEST	9876543210	NZM	GenCard		

INDIAN RAILWAY'S DIVYANGJAN IDENTITY CARD



IDENTITY CARD NO : **NRNZM4596**

NAME: **SamplePrint**

NAME FOR BOOKING (16 Chars Max): **SamplePrint**

GENDER : **Female**

DATE OF BIRTH: **01-01-2000**

NAME OF GOVT. HOSPITAL/CLINIC/INSTITUTION: **NIZAMUDDIN HOSPITAL**

NAME OF THE GOVT. DOCTOR / RMP / HEAD OF THE INSTITUTION OF BLIND: **SamplePrint**

REGISTRATION NO. OF THE GOVT DOCTOR/ RMP/ PERSON ISSUING CERTIFICATE: **12345**

NATURE OF HANDICAP: Orthopaedically Handicapped/Paraplegic/Patients who cannot travel without an escort

VALIDITY OF THE CONCESSION CERTIFICATE : **5 years**

CARD VALID FROM: **28/11/2024**

CARD VALID UPTO: **31/12/2026**

CERTIFICATE ISSUE DATE: **01/01/2022**

COMPUTER GENERATED AND SIGNATURE NOT REQUIRED

Print Close